संख्या–4620 / 9–आ–1–02–1 वि0 / 2000

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
आवास विभाग।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–30 अक्टूबर, 2002

विषय : व्यसायिक सम्पत्तियों, नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु ''वन–टाइम सेटलमेन्ट योजना''–ओ.टी.एस–2002 योजना का संचालन।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों, क्रेतजाओं व ऋण गृहीताओं के प्रकरणों के समाधान हेतु शासन द्वारा वर्ष 2000 एवं तत्पश्चात् वर्ष 2001 एवं वर्ष 2002 में वितथ समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गयी थी। इन योजनाओं में अनाच्छादित व्यवसायिक सम्पत्तियों, नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों के संबंध में प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि अभी भी बड़ी संख्या में सम्पत्तियों के आवंटी भुगतान में डिफाल्टर है जिसके कारण प्राधिकरणों / परिषद के बकाये की वसूली अवरूद्ध है। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इन सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरणों को विनियमित करने हेतु एक अवसर प्रदान करते हुये निम्नवत् लागू किये जाने का निर्णय लिया हैः–

1. योजना किस श्रेणी के आवंटियों पर लागू होगी :

(1) समस्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर।

(2) नीलामी के आधार आवंटित व्यवसायिक एवं आवासीय सम्पत्तियों पर।

2. सिद्धान्त :

(1) ओटीएम योजनान्तर्गत सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज, जो सम्पत्ति के आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा।

(2) आवंटियों से किसी प्रकार का दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा। डिफाल्ट की अवधि का ब्याज ऊपरलिखित सिद्धान्त (1) के अनुसार लिया जायेगा।

(3) आवंटी द्वारा किये गये भुगतान सर्वप्रथम डिफाल्ट की अवधि के ब्याज, ओटीएस आधार पर ऑगणित ब्याज तदोपरान्त बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजित किये जायेंगे।

3. योजना की अवधि :

(1) यह योजना दिनांक 01.11.02 से 30.11.02 तक सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क सहित लागू होगी।

(2) योजना दिनांक 01.12.02 से 31.12.02 तक विलम्ब प्रोसेसिंग शुल्क सहित प्रवृत्त रहेगी।

4. (1) विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा डिफाल्टर्स आवंटियों की सूची

क्रमांक	**सम्पत्ति का प्रकार**	**धनराशि (रु. में)**
1.	**नीलामी के आधार पर आवंटित आवासी सम्पत्ति**	**300.00**
2.	**व्यवसायिक सम्पत्ति, नीलामी के आधार पर आवंटित**	**500.00**

व्यवसायिक सम्पत्ति

योजना लागू करने की तिथि से पूर्व तैयार करवा ली जायेगी तथा सूची का प्रकाशन न्यूनतम 2 राज्य स्तरीय लोकप्रिय समाचार पत्रों में करवाया जायेगा।

(2) योजना लागू करने के 5 दिनों के अन्दर ही सभी डिफाल्टर्स को एक नोटिस दी जायेगी जिसके माध्यम से उन्हें बकाया धनराशि की जानकारी देते हुए सूचित किया जायेगा कि वे दिनांक 01.11.02 से 30.11.02 तक लागू ओटीएस योजना के अर्न्तगत प्रस्तर– 5 (1) में उल्लिखित सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क सहित आवेदन पत्र जमा करवा कर अपने प्रकरणों का निस्तारण करवा लें, ऐसा न करने की स्थिति में उनका आवंटन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस बात का उल्लेख विशेष रूप से किया जायेगा कि यदि किसी डिफाल्टर से निर्धारित अवधि में संदर्भित योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र दे दिया है तो उसके केस में उक्त नोटिस स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(3) निर्धारित अवधि के उपरानत प्रस्तर–5 (2)में उल्लिखित विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 01.12.02 से 31.12.02 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे, जिसके लिये आवेदक को विलम्ब के कारणों को उल्लेख करते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. (1) दिनांक 01.11.02 से 30.11.02 तक आवेदन पत्र के साथ निम्नवत् सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क ली जायेगी :–

(1) सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी :–

(2) विलम्ब प्रोसेसिंग शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी :–

नोट :– प्रोसेसिंग शुल्क तथा विलम्ब प्रोसेसिंग शुल्क बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में देय होगा जो न तो वापस किया जायेगा और न ही बकाये में समायोजित होगा।

(2) आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रकरण का निस्तारण अवश्य कर दिया जाय।

(3) समस्त प्राधिकरणों/परिषद कार्यालयों में समाधान के लिये उपाध्यक्षों/आवास आयुक्त द्वारा अधिकारी नामित किये जायेंगे, जो उनके समक्ष प्रस्तुत मामलों के निस्तारण और आवंटी द्वारा पहले से जमा की गयी धनराशि के विवरण के सत्यापन हेतु उत्तरदायी होंगे। निर्धारित अवधि में संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके द्वारा उक्त विवरण के आधार ही पर आवंटी को बकाया धनराशि की गणना कर अनन्तिम डिमान्ड नोट उसी दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। आवंटी से समस्त बकाये की 1/2 धनराशि को अधिकतम 15 दिन में जमा करने का अवसर दिया जायेगा। इसी अवधि में अधिकारी विभागीय अभिलेखों से आवेदन की जमा धनराशि आदि का सत्यापन कर लेगें और यदि कोई अन्तर हुआ तो उसका समाधान करते हुये वास्तविक बकाया धनराशि का अन्तिम माँगपत्र आवंटी को उक्त निर्धारित तिथि को जारी करेंगे। इस माँग पत्र में पूर्व में जमा उक्त निर्धारित तिथि को जारी करते हुये शेष शुद्ध बकाया धनराशि को अधिकतम 15 दिन में एकमुश्त जमा किया जायेगा।

(4) यदि सूचना देने के 15 दिन के अन्दर सम्पूर्ण देय धनराशि अथवा उसकी 1/2 धनराशि आवंटी द्वारा जमा नही की जाती है अथवा उसके 15 दिन बाद शेष 1/2 धनराशि जमा नहीं की जाती है तो यह समाधान योजना उस आवंटी पर लागू नहीं होगी और पूर्व व्यवस्था के अनुसार उससे वसूली/आवंटन निरस्तीकरण/बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

(5) समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि एक पक्ष की समय सीमा में प्रत्येक आवेदक की बकाया धनराशि की सत्यापित गणना उसे प्राप्त करा दी जाय और बकाया मामलों का विवरण कारणों सहित उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाय, ताकि ऐसे मामलों का समाधान उनके स्तर से किया जा सके।

(6) प्राधिकरणों द्वारा, बैंकों के साथ समन्वय कर, ऋण की सुविधा भी प्राधिकरण प्रागंण में ही उपलब्ध करायी जायेगी।

6. ओटीएस अंतर्गत प्रकरण का निस्तारण हो जाने के उपरान्त सम्पत्ति की रजिस्ट्री की कार्यवाही तत्काल कर दी जायेगी। सब रजिस्ट्रार की अनवरत् उपलब्धता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करायी जायेगी।

7. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना–पत्र प्राप्त करने के लिए शिविर लगाए जाए। प्राप्त सभी प्रार्थना–पत्रों का योजनावार ब्यौरा कम्प्यूटर पर रखा जाए।

8. इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों में रेडियो तथा केबिल/टेलीविजन पर किया जाय। इसके अतिरिक्त मुख्य स्थानों तथा विभिन्न कालोनियों में भी होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार किया जाय, इसमें योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया जायेगा।

9. योजना की सफलता हेतु उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त स्वयं साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। शासन स्तर पर विकास प्राधिकरणों/परिषद की बैठक में इस योजना का भी अनुश्रवण किया जायेगा।

10. इस योजनावधि में प्राप्त आवेदनों, एक पक्ष में सत्यापित विवरणों आदि के विषय में सूचना पूर्व में लागू ओ.टी.एस. योजना हेतु निर्धारित प्रारूप पर शासन को भेजी जायेगी।

11. ओ.टी.एस. योजना के लिए आवेदन का प्रारूप तथा योजना की पाक्षिक प्रगति शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप पूर्ववत रहेंगे।

12. प्राधिकरण तथा उ.प्र. आवास एवं परिषद को गणना हेतु साफ्ट्वेयर शासन द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या–4620 (1)9–आ–1–02, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

3. अधिशासी निदेशक, उ.प्र. आवास बन्धु।

4. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों में आवश्यकतानुसार सब रजिस्ट्रार की इस अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित कराने का स्पष्ट निर्देश दिये जाने हेतु।

5. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग।

6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।

7. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।

8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

वितथ समाधान योजना–2002

समय सारिणी एवं क्रियान्वयन की रणनीति

कार्य बिन्दू	समय सारिणी दिनांक	क्रियान्वयन की रणनीति
1. शासनादेश/आवेदन पत्र का मुद्रण मुद्रण	14.08.02 तक	शासनादेश एवं आवेदन पत्र का मुद्रण उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् तथा प्राधिकरणों के स्तर पर कराया जाए। इसका मूल्य रू. 5.00 रखा जाए।
2. जनता को शासनादेश एवं आवेदन–पत्रों की उपलब्धताढ	16.08.02 से	विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में विशेष काउण्टर स्थापित कर शासनादेश एवं आवेदन पत्र की बिक्री की जाए।
3. उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं प्राधिकरणों द्वारा टीमों का गठन	20.08.02 तक	नगर को जोन्स, क्षेत्र, कालोनियों में बाँटकर उन्हें एक अधिकारी के अंतर्गत रखा जाए जो योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।
4. ओ.टी.एस. योजना का अवतरण	16.08.02 से	समस्त विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में एक समान प्रवृत्त होगी।
5. योजना का प्रचार–प्रसार	14.08.02 से 14.10.02 तक	आवास बन्धु : प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से। प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषदः समाचार पत्रों, हैण्ड बिल, केबल टी.वी., स्पीकरयुक्त मोबाइल गाड़ी के माध्यम से।
6. कैम्प्स का आयोजन	20.08.02 से 15.10.02	क्षेत्रवार कैम्प लगाए जाएँ इनका प्रचार किया जाए। समस्त औपचारिकताएं कैम्प में पूर्ण करने की सुविधा दी जाए।
7. ओ.टी.एस. योजना का समापन सामान्य शुल्क सहित विलम्ब शुल्क सहित	15.10.02 15.09.02 15.10.02	समस्त विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद मे एक समान लागू की जाए।
8. डिफाल्टर आवंटियों के आवंटन निरस्तीकरण हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ	16.10.02 से 15.11.02	आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद स्तर पर डिफाल्टर आवंटियों के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जाए।
9. शासन स्तर/आवास बन्धु स्तर पर अनुश्रवण	22.08.02 से 15.12.02 तक	आवास बन्धु एवं शासन के विशेष सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।
10. सचिव, आवास स्तर पर अनुश्रण	31.08.02 से 15.12.02	सचिव, आवास द्वारा पाक्षिक समीक्षा की जाएगी।

PROVISIONAL

DEMAND NOTE MEMO FOR O.T.S.-2002

No. HDB4 **Name : Ms. Radhika Prasad**

Mailing Address : C/o Ram Advani. Mayfair Bldg.,
Hazratganj, Lucknow

Sheme : Vaishali Yojna **Property No. : R-206**

Category : Fla **Rate of Interest : 17.00** **Lump Sum Amount Rs. 0.00**

कुल मूल्य जिस पर किश्तों की गणना की गई है रु0 : 385200-00

OTS Amount if Paid On/By :

February 15, 2002 Rs. : 127191.00
March 2, 2002 Rs. : 127191.00

Installemnt		Outstanding on Date	Installment Due	Total Due	Amount Paid		Balance Due	Interest till next date	Balance C/f on Next Date	
No.	Date				Date	Amount			Installment Amount	Interest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04-01-95	0.00	17841.00	17841.00	//	0.00	17841.00	756.00	17841.00	756.00
2	07-01-95	17841.00	17841.00	35682.00	//	0.00	35682.00	1529.00	35682.00	2285.00
3	10-01-95	35682.00	17841.00	53523.00	//	0.00	53523.00	2293.00	53523.00	4578.00
4	01-01-96	53523.00	17841.00	71364.00	//	0.00	71364.00	3025.00	71364.00	7603.00
5	04-01-96	71364.00	17841.00	89205.00	//	0.00	89205.00	3781.00	89205.00	11384.00
6	07-01-96	89205.00	17841.00	107046.00	//	0.00	107046.00	4587.00	107046.00	15971.00
7	10-01-96	107046.00	17841.00	124887.00	//	0.00	124887.00	5351.00	124887.00	21322.00
8	01-01-97	124887.00	17841.00	142728.00	//	0.00	142728.00	5983.00	142728.00	27305.00
9	04-01-97	142728.00	17841.00	160569.00	//	0.00	160569.00	6805.00	160569.00	34119.00
10	07-01-97	160569.00	17841.00	178410.00	//	0.00	178410.00	7645.00	178410.00	41755.00
11	10-01-97	178410.00	17841.00	196251.00	//	0.00	196251.00	8409.00	196251.00	50164.00
12	01-04-98	196251.00	17841.00	214092.00	//	0.00	214092.00	8974.00	214092.00	59138.00
13	04-04-98	214092.00	17841.00	231933.00	//	0.00	231933.00	9830.00	231933.00	86968.00
14	07-01-99	231933.00	17841.00	149774.00	//	0.00	249774.00	10703.00	249774.00	79671.00
15	10-01-99	249774.00	17841.00	267615.00	//	0.00	267615.00	11467.00	267615.00	91138.00
16	01-01-99	267615.00	17841.00	285456.00	//	0.00	285456.00	11966.00	285456.00	10314.00
17	04-01-99	285456.00	17841.00	303297.00	//	0.00	303297.00	12855.00	303297.00	115959.00
18	07-01-99	302297.00	17841.00	321138.00	//	0.00	321138.00	13761.00	321138.00	129720.00
19	10-01-95	321138.00	17841.00	338979.00	//	0.00	338979.00	14525.00	338979.00	144245.00
20	01-01-95	338979.00	17841.00	356820.00	//	0.00	356820.00	15123.00	356820.00	159326.00
21	04-01-95	356820.00	17841.00	374661.00	//	0.00	374661.00	15879.00	374661.00	175247.00
22	07-01-95	374661.00	17841.00	392502.00	//	0.00	392502.00	3108.00	392502.00	178355.00
23	10-01-95	392502.00	0.00	392502.00	07/18/00	55000.00	392502.00	13711.00	392502.00	137066.00
24	01-01-95	392502.00	17841.00	410343.00	//	0.00	410343.00	17583.00	410343.00	154649.00
25	04-01-95	410343.00	17841.00	428184.00	//	0.00	428184.00	17949.00	428184.00	172598.00

उपरोक्त गणना आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है, इसलिए अंतरिम है। औपचारिक आवेदन किये जाने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा किश्तों व किये गये भुगतान आवेदन की अन्य शर्तों आदि का सत्यापन किया जायेगा। यदि देयताएं में कोई अन्तर होगा तो प्राधिकरण/परिषद द्वारा अवगत कराया जायेगा, कि किश्तें भविष्य में देय थीं, जिन्हें ओ0टी0एम0 के साथ ही भुगतान किया जाना है। इन्हें उल्लिखित ब्याज दर से डिस्कांउट किया जा रहा है।

ओ0टी0एस0 योजना का पाक्षिक (Fortnightly) प्रगति विवरण प्रपत्र

दिनांक 1/15.....2002 की स्थिति

प्राधिकरण का नाम :

(रू0 लाख में)

अन्तिम (Tentative) ओ0टी0एस0 मेमो निर्गत किये गये		अन्तिम (Final) ओ0टी0एस0 मेमो निर्गत किये गये		ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत जमा धनराशि		ओ0टी0एस0 अन्तर्गत पूर्ण मामले	
पक्ष में	कार्मिक	पक्ष में	कार्मिक	पक्ष में	कार्मिक	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

(सम्बन्धित अधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर)